OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE, RAJASTHAN, JAIPUR

No. N-5 (20) Police-Force/Sports Const./ 2023/ 983 Date: 13.03.2024

STANDING ORDER NO----05-/2024

Subject-Procedure for recruitment of sportspersons to the post of **constable in** Rajasthan Police.

In supersession of earlier Standing Orders. the following instructions are issued to regulate recruitment of sportspersons under Rule-7(C) of RPSSR-1989 to the post of Constable in Rajasthan Police,. to be undertaken by a Sports Selection Board constituted by that Director General of Police, Rajasthan for the purpose.

The Director General of Police shall be at liberty to decide the allocation of seats and games as per the requirement of the organization and also to re- allocate the seats in case of non-availability of suitable applicants, upon the recommendation of the committee constituted by the Chief Sports Officer, Rajasthan Police for the purpose. The total allocation shall not exceed the total vacancies earmarked for recruitment under Sports quota.

There shall be 2% quota for outstanding sports persons, which shall be treated as horizontal reservation and it shall be adjusted in the respective category to which the sports person belongs. In case any vacancy remains unfilled after the selection process, the vacancy shall not be carried forward but filled through the process of direct recruitment under the rules.

Only candidates who are bonafide residents of Rajasthan are eligible for recruitment under this quota.

This recruitment will be governed by the latest Government circulars wherever applicable.

1. AGE & RELAXATION IN AGE:-

(i) Relaxation in age and standards of physical fitness shall be given as provided in Rules-11 and 14 of RPSSR 1989.

(ii) The candidate must have attained the age of 18 years & must not have attained the age of 23 years (DOP notification dated 25.6.2004 and 17-05-2018) on 1st day of January of the next year following the last date fixed for receipt of applications.

(iii) The upper age limit shall be relaxed by:

(a) 5 years in case of men candidates belonging to SC, ST, OBC, MBC (non creamy), EWS, Saharia category and women candidates belonging to Unreserved category.

(b) 10 years in case of women candidates belonging to SC, ST, OBC, MBC (non creamy), EWS, Saharia category.

(c) 3 years in case of the candidates who are State Government employees and dependents of deceased Police officers/Police officials killed in the discharge of their duties.

(iv) The upper age limit mentioned above shall be 42 years (DOP notification dated 25.6.2004 and 17-05-2018) in the case of Ex-Servicemen.

2.PHYSICAL FITNESS NORMS:-

Physical fitness norms shall be applicable as per rule 14 of RPSSR, 1989 :-

	For General &TSP area		For Saharia of Distt. Baran	
	Men	Women	Men	Women
Height (minimum)	168 cms	152 cms	160 cms	145 cms
Minimum Chest measurement and expansion (only for men)	Without expansion-81cms With expansion-86 cms (Min. expansion of 5 cms is required)	Not applicable	Without expansion-74 cms With expansion-79 cms (Min. expansion of 5 cms is required)	Not applicable
Minimum weight (only for women)	Not applicable	47.5 kgs	Not applicable	43 kgs

Further relaxation in Physical fitness/ standards, as admissible, shall be governed by Rule 14 of RPSSR 1989.

3. EDUCATIONAL QUALIFICATION:-

Educational qualification required for the post of constable as mentioned in section I, Ill and V of the Rules will be as prescribed in column IV of schedule-I of RPSSR, 1989.

District. /Unit	Minimum educational qualification
District police/ Intelligence	Senior Secondary or 12th class pass or equivalent thereof from a recognized school/ examining body.
Police Telecommunication	Senior Secondary in Science with Physics & Maths/ Computer Science as subjects by a Board established by law or equivalent or 10+2 examination declared equivalent there to by the Government.

4. VENUE FOR DOCUMENT VERIFICATION AND TRIAL-:-

The venue shall be intimated by the Chairman of the recruitment Board formed by DGP Rajasthan.

5. INVITING OF APPLICATIONS:-

(a) **Applicant can apply for only one game/event.**

(b) The notification for inviting online applications for recruitment shall be published in the leading newspapers and police website www.police.raiasthan.gov.in.

(c) Candidate shall be required to submit the prescribed online application form through the common service centre (CSC)/E-mitra kiosks or at his/her own level after obtaining a token number from CSC/E-mitra kiosk. List of the CSC/ E-mitra kiosks and instructions for filling application form shall be available on website.

(d) **Examination Fee-** applicable for online application is as follows:

Personnel (A-2) Department, Government of Rajasthan's Circular Number P-8(3) Personnel/A-2/2023/04443 dated 19-04-2023 has implemented One Time Registration system in all Recruitment Examination. After one-time registration by the candidates, repeated examination fee will not be payable for applying in other Recruitment Exams. For this, candidates will have to deposit one-time registration fee prescribed as per rules by going to One Time Registration option after login

through his/her SSO ID.

1. Unreserved/BC category (Creamy)/ Out of state candidates – **Rs.600/**
2. SC/ST/BC(non-Creamy)/EWS category candidates (in state) –**Rs.400/-** including TSP & Saharia.

(e) Handwritten application forms shall not be accepted by the Department.

(f) On successful submission of online application form, a unique Application ID shall be allotted to the candidate.

(g) Incomplete applications or applications not filled-up in accordance with the instructions issued shall be rejected under Rule 20 of RPSSR 1989. No claim for refund of fee shall be entertained.

(h) The roll numbers for applications accepted online shall be allotted to the candidates on the basis of randomization. Admission cards will not be sent to the candidates by post. It Shall be the responsibility of the candidates to download their admission card by use of application ID from the website.

6. PROCEDURE FOR SELECTION:-

According to the notification dated 23-05-2022 of the State Government Personnel (A-2) Department, as per the provisions of schedule-II of the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services (Common Eligibility Test) Rules-2022 for the post of Police Constable (Senior Secondary Level) of Rajasthan Police Subordinate Services, the recruitment is to be done through Common Eligibility Test.

Candidates who appeared in Common Eligibility Test (Senior Secondary Level)-2022 conducted by Rajasthan Subordinate & Ministerial Staff Selection Board, will be eligible to apply online for the post of Constable (GD/PTC).

The candidates will be selected on the basis of marks given for their sports certificates and performance shown during the trial of the concerned sport/games.

(i) Certificate Evaluation:-

The marks for sports certificates shall be awarded as below :-

S.N	Certificate	Position	Marks
1-	Won medal in Individual or Team Event/ Represented country in Olympic Games (Summer)/World Cup/World Championship/ Asian Games/ Commonwealth	1st Position	70
		2st Position	67
		3st Position	64
		Any Other	61
2-	Won medal in Individual or Team Event/ Represented country in Asian Championship/ SAF Games	1st Position	58
		2st Position	55
		3st Position	52
		Any Other	49
3-	Won medal in individual or Team Event/ Participated in International School Championship/ Asian School Championship/ National games/ Senior national Championship/ Open National Athletic Championship/ National Inter State Senior Athletic Championship/ Federation Cup/ National Senior Championship/ National Cross Country Championship games	1st Position	46
		2st Position	43
		3st Position	40

S.N	Certificate	Position	Marks
4-	Won medal in individual or Team Event/ Participated in youth national games/youth National Championship/Junior national Championship	1st Position	34
		2st Position	31
		3st Position	28
5-	Medal winner in The Individual or in Team Event National School games/ All India Inter University Games.	1st Position	25
		2st Position	22
		3st Position	19

Note:-

(a) **Games that are organized every year, their certificate will be valid for Three years, for games that are not organized every year their certificates will be valid for Five years.**

(b) Only the Merit/Participation Certificates obtained in games recognized by All India Police Sports Control Board, New Delhi shall be entertained.

(c) Only the Merit/Participation Certificates obtained in the competitions conducted by any of the following Sports bodies in the games mentioned at point 1 above shall be entertained: -

S.No.	Sports Body	Name of the Tournament/ Championship
1	international Olympic Committee (IOC)	Olympic Games (Summer)
2	Olympic Council of Asia (OCA)	Asian Games
3	South Asian Olympic Council (SAOC)	South Asian Games Commonly known as SAF games
4	Commonwealth Games Federation (CGF)	Common wealth Games
5	International Sports Federations affiliated to IOC	World Cup/ World Championship
6	Asian Sports Federations affiliated to OCA	Asian Championship
7	International School Sports Federation (ISSF)	international School Games/ Championship
8	Asian School Sports Federation (ASSF)	Asian School Games/ Championship.
9	Indian Olympic Association (IOA) and affiliated National Sports Federations	National Games/ National Championship/ Open National Athletic Championship/ National Inter State Senior Athletic Championship/ Federation Cup National Senior Championship/ National Cross Country Championship Games/ Youth National Games/ Youth National Championship/ Junior National Championship
10	Association of Indian Universities (AIU)	All India Inter University Games
11	School Games Federation of India (SGFI)	National School Games

(d) In addition to above provision. it is clarified that only one certificate which carries maximum weightage will be entertained per candidate.

(ii) Trial (30 Marks)

The candidate shall be required to undergo a trial for the game/sport for which he/she is applying and will be assessed out of 30 marks. The trial shall be conducted with the advice and assistance of a Trial Committee. comprising of at least two NIS qualified coaches nominated by the chairman of the recruitment board and a renowned player of the game, not working in Rajasthan Police.

Coaches/ renowned player for the trail, will not be called at personal level but will be called through SAI or any other sports authority. The coach/ renowned player will not be a resident of Rajasthan state or from the neighboring state. Two coaches will be called for each game and all two shall be from different states.

The coaches/ referees will have to give a written undertaking that he is not related to or known to any of the candidates appearing in the recruitment process, and will also give written consent that none of the candidates who came for selection process has been trained by him.

The trial shall be conducted as per the rules for the sport established by the concerned National Sports Federation. The trial Committee shall assess the performance of the applicant on every technicality of the discipline in which he/she is being assessed.

A. Individual Events:- The candidates of each sport will be required to compete against each other in their discipline (in their respective weight category, if any) and would be awarded marks as below, based on positions obtained in the trials:-

Over all Position in Trial	Marks
First	30
Second	28
Third	26

a. Two marks will be deducted for every position after the 3rd position.
b. For games in which performance is judged on the basis of time/distance/weight/ score/points the candidate must perform better or equal to the performance of six positions of time/distance/weight/ score/points achieved in the last All India Police Games.

Note:- If in case sufficient applicants are not available for a specific discipline, to conduct the Trial, the Selection Board may summon players of that discipline who have not applied for the same to participate in the trial, to facilitate the Trial Committee to assess the suitability of candidates.

B. Team Events:-

The trial shall be conducted by the selection board within the parameters or rules laid down for conduct of the sport/games by the concerned National Sports Federation.

The candidate shall be required to score at least 50% marks (15 Marks out of 30) in the trial, failing which he/she shall not be considered for selection.

(iii) Physical Standard Test (PST):-

After the above, suitable candidates will be subjected to P.S.T. by the Sports Selection Board as per Point 2.

Height, chest/weight measurements will be communicated and explained to each and every candidate and their signatures taken.

Candidates failing to fulfil the prescribed physical standards shall be rejected.

Provision of Appeal in PST: -

One chance of appeal will be given to candidates who are not satisfied with the PST result. A fee of Rs. 500/- shall be deposited by the candidate along with appeal application and he/she shall be re-examined by the Recruitment Board on the same day. To avoid any disadvantage to the candidate, the Recruitment Board Shall be assisted by a Medical Board of Government Doctors in all cases of PST appeals and the signatures of the candidates shall figure in all sheets of appeal along with that of the members of the Recruitment Board and Doctors of medical board. **PST measurements shall be done on the day of PST, with or without appeal and shall be final.**

7. Merit list-

Sports/Games wise merit lists shall be prepared on the basis of total marks obtained by the candidates out of 100 marks.

Candidates who fail to secure minimum of 40 marks in overall assessment out of 100 marks, shall not be considered eligible for inclusion in the merit list.

Note:-

(a) if only one player is available for the trial in a particular weight category in an individual event, it does not entitle him for selection. Sports Selection Board and Trial Committee will assess his calibre based on his sport techniques, skills and certificate evaluation and award marks accordingly.

(b) The basis of selection will not be the position obtained in the individual event of any weight category/other category, but the position obtained in the sports-wise merit list.

(c) In case of non-availability of suitable candidate in a particular event, those vacancies shall be filled from the merit list from reserve candidates in the merit list on the basis of marks attained by them in the overall merit list.

A combined merit list shall be prepared on basis of total marks (certificate evaluation and trial) obtained by the candidate and the allotment of posts shall be done strictly as per merit cum preference basis.

8. Medical Examination: -

Immediately after declaration of the select list, cándidates shall be required to undergo a Medical Test by a Government Medical Board. The Appointing Authority shall approach the Chief Medical and Health Officer/Principal Medical Officer concerned to appoint one or more medical officers, as required, for this purpose, as per enclosed proforma **(Annexure D).**

Candidates who are found temporarily unfit and whose defect can be rectified within 6 months as per the opinion of the Medical Officer shall be eligible for appointment after the said period, provided they are found fit by medical board.

Candidates who fail to conform to the prescribed standards of medical fitness even on re-examination within stipulated time shall be declared medically unfit for appointment and their candidature shall stand cancelled.

Medical standards :-

The minimum near vision should be N6 (better eye) and N9 (worse eye). The minimum distant vision should be 6/6 (better eye) and 6/9 (worse eye) of both eyes with or without any correction. In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. (As per DOP instructions dated 13.3.2020)

The candidate must not have knock knee, flat foot, varicose vein, night blindness, stammering, hernia or squint in eyes and they should possess high colour vision.

They must be in good mental and bodily health and free from any physical defects/surgical problems likely to interfere with the efficient performance of the duties.

9-Documents Verification:-

The original certificates of date of birth, caste, education and marital status (in case of women) shall be obtained from the candidates who are declared fit in the medical examination. These certificates shall be verified by the Appointing Authority and only those candidates whose documents are found genuine, shall be eligible for appointment. After verification process is complete the original certificates will be returned and photo copies shall be retained by units concerned for record.

Entry of availed relaxation in height and chest/weight measurements of SC/ST candidates should be made explicitly in their Service records.

Additionally, certificates of relevant sport and domicile will also be verified by the appointing authority.

10. Character Verification: -

Candidates will be required to furnish a declaration in R.P. form No. 4 (Verification Roll) and the contents of such declaration, may be got verified during the character verification.

Dates should be mentioned in every document of character verification. Candidates with "satisfactory" character as per rule-13 of RPSSR 1989 shall be eligible for appointment.

Matters related to disqualification due to incomplete/ fraudulent documents relating to character verification or due to criminal antecedents shall be referred for decision to the Police Headquarters.

Norms prevalent at the time of conduct of character verification shall be applicable in deciding suitability of a candidate for appointment.

11. No Objection Certificates: -

Candidate already working with Govt. of India/State Govt./Public Sector Organizations will be required to submit a No objection Certificate from the concerned employer, at the time to Trials.

12. Determination of Seniority:-

I. The candidates recruited under this process shall be treated junior to recruitment made otherwise under the Rules for the same year.

II. Amongst the candidates recruited under this Rule, seniority will be decided on the basis of marks, obtained in overall assessment, i.e. out of 100 marks. If two or more candidates option equal marks. the person older in age shall be placed higher, where two or more persons have same marks and age, the person having higher educational qualification will be placed higher. where two or more persons have same marks, age and educational qualifications. their names shall be placed in English alphabetical order in the seniority list.

Candidates standing higher in merit shall be eligible for appointment subject to the provisions of Rajasthan Police Subordinate Service Rules: 1989.

In the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and saharia, relaxation in physical measurements is available only if candidates fulfilling the prescribed measurements are not available. The Selection Board shall take care to segregate the candidates who have taken relaxation of physical measurements and those who have not. When such candidates are included in the select list they will find place below the candidates who have not availed themselves of any relaxation.

Note: -

Selected personnel may be stationed at one location for practice/ preparation of State/ National level events for any period decided by the Chief Sports officer of Rajasthan Police with the permission of Director General of Police.

After selection of the candidates the Board Will allot them to various units as per vacancies by organizing counselling session and shall forward the select list with recommendations of the board to DGP office giving details of their categories etc. The decision on allotment to various units will be finally decided by the DGP.

13. APPOINTMENT: -

Medically fit candidates, whose documents are found genuine and against whom nothing adverse has come to notice on verification of their character, shall be appointed strictly on the basis of their merit, on probation.

Upon selection the candidate shall be required to furnish a bond as deemed fit by the appointing authority.

If a candidate is disqualified on any ground or fails to join by the date given by the appointing authority, the candidate next in the merit list, in the order of merit, shall be eligible for appointment.

14.DISQUALIFICATION FOR APPOINTMENT:-

A candidate shall be disqualified for appointment if his candidature is found violative of RPSSR 1989.

Any candidate who is found to be guilty of impersonation or submitting fabricated documents, documents which have been tampered with. suppressing material information e.g. concealing information about criminal cases pending against him/her, using or attempting to use unfair means during the examination. otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, will be debarred either permanently or for a specified period by the DGP, for admission to any examination to be held under the provisions of those Rules.

His/her conduct may also be reported to the State Government for similar action in respect of various services under the State Government.

Candidates who have furnished wrong or have suppressed any information including those related to criminal cases, pending or disposed, when the said information is sought by appointing authority will not be eligible for appointment.

(U. R. Sahoo)
Director General of police
Rajasthan, Jaipur

Copy for information/necessary action to: -

1. All D.Gs, Rajasthan, Jaipur.
2. All Addl.D.Gs./ Police Commissioners/I.Gs./ Dy.I.Gs of Police, Rajasthan.
3. All Superintendents of Police, DCPs, Rajasthan.
4. Joint Secretary to Govt. (Group-1), Home Department, Rajasthan, Jaipur.
5. All Commandants, RAC Bns. including IR /MBC/Trg. Institutes, including Principal RPTC, Jodhpur/Kishangarh, Rajasthan.
6. In-charge, Website Cell, Jaipur along with a soft copy to upload it on the Rajasthan Police website.
7. All Group In-charges, Headquarters Branch, PHQ, Rajasthan, Jaipur.

13/3/24

Additional Director General of police
Recruitment and Promotion Board,
Rajasthan, Jaipur

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–न–5(20)पु.फो. / कानि.भर्ती / 2023 / **984** दिनांकः– **13.03..2024**

<u>कॉन्स्टेबल (उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा) भर्ती हेतु विज्ञप्ति</u>

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला / यूनिट में कॉन्स्टेबल (सामान्य / चालक / बैण्ड / घुडसवार / श्वानदल / पुलिस दूर संचार) के जिला / यूनिटवार विज्ञापित 3578 पदों के नियमानुसार 02 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा (**सीनियर सैकण्डरी लेवल**)–2022 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं।

यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई–मित्र कियोस्क, जनसुविधा केन्द्र CSC (Common Service Centre) एवं विभाग की वेबसाईट पर विज्ञप्ति **समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पश्चात् दिनांक 27.03.2024 से 16.04.2024 तक भरे जा सकते हैं।**

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात दिनांक **17.04.2024** से **21.04.2024** तक आवेदन पत्र में संशोधन / त्रुटि सुधार हेतु वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क 300 / –रूपये ऑनलाईन जमा कराना होगा। **आवेदित खेल / इवेन्ट में ही संशोधन / त्रुटि सुधार किया जा सकेगा।**

<u>आवेदक द्वारा केवल एक ही खेल / इवेन्ट के लिए आवेदन किया जा सकेगा।</u>

भर्ती हेतु योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के **स्थाई आदेश संख्या–05 / 2024** में वर्णित हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र माने जावेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में चयनित अभ्यर्थियों को केवल कॉन्स्टेबल सामान्य पदों की रिक्तियों के विरूद्व नियुक्ति दी जाएगी।

<u>1. आवेदन प्रक्रिया :–</u>

I. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पोर्टल https://recruitment2.rajasthan.gov.in पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल http://sso. rajasthan.gov.in से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Stack2 का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एक बारीय पंजीयन शुल्क जमा नही किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी Category व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई Category की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) का ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक (Application No) दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) का ऑनलाईन आवेदन पत्र अपनी sso ID (जिससे अभ्यर्थी ने सीईटी का आवेदन भरा) Login करके Recruitment portal के My Recruitment ऑप्शन पर Click कर प्राप्त कर सकता है। CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक व sso ID को सिस्टम द्वारा CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) के डाटा से Verify किया जायेगा। Verify हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाऐं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाऐं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र को Final submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा। **<u>अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।</u>**

II. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।

III. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

IV. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।

V. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का submit होना नहीं माना जायेगा।

VI. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

VII. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Stack2 पर दिये गये Helpdesk Number या E-mail पर सम्पर्क करें। **ई–मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141–2922241 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्या के लिए हैल्पलाईन नम्बर 7340557555, 9352323625 पर सम्पर्क करें।**

VIII. आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रुपये 50/– संबंधित ई–मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

<u>नोटः–</u>

(1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन ऑनलाईन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा–निर्देश (instruction) का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेवें एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाऐं कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। **<u>ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक मापतौल, प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जॉच एवं सम्बन्धित खेल की ट्रायल के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।</u>**

(2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पृथक से कोई प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(5) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र के Preview को आवेदन Submit ना मानें।

(6) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात् आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पूर्व या पश्चात् आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नही होगी। यह ध्यान रखा जावे कि केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाएगा, यह आवेदन भरने का अतिरिक्त अवसर नही होगा।

2. पंजीयन शुल्क–

कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.8 (3) कार्मिक/क–2/2023–04443 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवायेंगेः–

(क)	सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के आवेदकों हेतु	600/–
(ख)	राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/टीएसपी/सहरिया	400/–

3. प्रवेश–पत्र :–

विभाग द्वारा अभ्यर्थी की चयन प्रकिया हेतु शारीरिक मापतौल परीक्षा, प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जांच एवं सम्बन्धित खेल की ट्रायल के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाईन ही जारी किये जायेंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नही भेजा जाएगा। ई–प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वैबसाइट से प्राप्त (Download) करने हेतु sso id से login के पश्चात रिक्रूटमेन्ट पोर्टल (Recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजी जायेगी।

4. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का प्रावधान:–

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–5(31)कार्मिक/क–2/84/15.03.13, एफ–5 (31)डीओपी/ए–ii/84 दिनांक 21.11.2019 एवं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989 के नियम–7 सी के प्रावधानानुसार राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप से माना जाएगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी।

खेल कोटा में चयनित अभ्यर्थी का नाम जिला/यूनिट की चयनसूची में सामान्य कानि. से नीचे होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य खेल अधिकारी, राजस्थान पुलिस, प्रशिक्षण/अभ्यास/प्रतियोगिता हेतु किसी भी स्थान पर भेज सकेंगे।

5. भर्ती हेतु रिक्त पद

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 3346 दिनांक 03.08.2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 3363 दिनांक 04.08.2023 में कॉन्स्टेबल (सामान्य/चालक/बैण्ड/घुडसवार/श्वानदल/पुलिस दूर संचार) के जिला/यूनिट स्तर पर विज्ञापित पदों के 2 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाडियों हेतु आरक्षित रखे गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	जिला/यूनिट का नाम	जिलेवार विज्ञापित पद	उत्कृष्ट खिलाडी कोटा हेतु आरक्षित पद (2%)
1	Ajmer	96	1
2	Alwar	108	2
3	Baran	68	1
4	Barmer	159	3
5	Bharatpur	116	2
6	Bhilwara	88	1
7	Bhiwadi	17	0
8	Bikaner	53	1
9	Bundi	155	3
10	Chittorgarh	125	2
11	CIB IB	54	1
12	Dausa	111	2
13	Dholpur	77	1
14	GRP Ajmer	12	0
15	Hanumangarh	19	0
16	Jaipur Comm.	53	1
17	Jaipur Rural	82	1
18	Jaisalmer	35	0
19	Jalore	12	0
20	Jhalawar	208	4
21	Jhunjhunu	95	1
22	Jodhpur Comm.	139	2
23	Karauli	3	0
24	Kota City	111	2
25	Kota Rural	136	2
26	Nagaur	115	2
27	Pali	93	1
28	PTC	417	8
29	Rajsamand	134	2
30	Ganganagar	23	0
31	Sikar	118	2
32	Sirohi	71	1
33	Tonk	106	2
34	Udaipur	31	0
	Total (NTSP)	**3240**	**51**
35	Banswara	151	3
36	Chittorgarh	7	0
37	CIB IB	25	0
38	Dungarpur	56	1

क्र.सं.	जिला / यूनिट का नाम	जिलेवार विज्ञापित पद	उत्कृष्ट खिलाडी कोटा हेतु आरक्षित पद (2:)
39	Pali	31	0
40	Rajsamand	5	0
41	Sirohi	63	1
	Total (TSP)	**338**	**5**
	Grand Total	**3578**	**56**

जिन जिला / यूनिट में रिक्त पदों की संख्या 50 से कम है उन जिला / यूनिट में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के पद नहीं बनने से नियमानुसार पद विज्ञापित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त विज्ञापित पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में शेष रहे रिक्त पदों को सम्बन्धित जिला / यूनिट हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 3346 दिनांक 03.08.2023 द्वारा विज्ञापित पदों के साथ अनारक्षित मानते हुए भरा जाएगा।

पदों का वर्गीकरण

क्र.सं.	खेल का नाम	पोजीशन / इवेन्ट	कॉन्स्टेबल		
			पुरुष	महिला	योग
1	एथलेटिक्स	100 Mtr. Run	01	00	01
		400 Mtr. Run	01	00	01
		800 Mtr. Run	01	00	01
		Shot Put	01	00	01
		Javelin Throw	01	00	01
		Hammer Throw	01	01	02
		Discus Throw	00	01	01
2	क्रॉसकन्ट्री	10 km Cross Country	01	01	02
3	जूडो	upto & Incuding 60 kg	01	00	01
		Over 63 kg upto & Incuding 70 kg	00	01	01
		Over 73 kg upto & Incuding 81 kg	01	00	01
4	जिम्नास्टिक	Artistic	01	00	01
5	वुशु (Sanshou)	Over 56 kg upto & Incuding 60 kg	01	00	01
		Over 65 kg upto & Incuding 70 kg	00	01	01
		Over 75 kg upto & Incuding 80 kg	01	00	01
6	ताईक्वाण्डो	Over 54 kg upto & Incuding 58 kg	01	00	01
		Over 68 kg upto & Incuding 74 kg	01	00	01
7	कराटे	-	01	00	01
8	फेन्सिंग	-	02	00	02
9	कुश्ती	FS 79 kg	01	00	01
		GR 67 kg	01	00	01
		FS 57 kg	00	01	01
10	भारोत्तोलन	64 kg	00	01	01
		67 kg	01	00	01
		81 kg	01	00	01
		+109 kg	01	00	01
11	बॉक्सिंग	Over 63 kg to 66 kg	00	01	01
		Over 67 kg to 71 kg	01	00	01
		Over 70 kg to 75 kg	00	01	01
12	तीरंदाजी	Comound Event	01	01	02
13	वाटर स्पोर्ट्स	Rowing	01	00	01
14	बैडमिन्टन	-	01	01	02
15	साईक्लिंग	Road Event	01	01	02
16	स्वीमिंग	Butter Fly	01	00	01
		Free Style	00	01	01
17	घुड़सवारी	Eventing	01	00	01
18	शूटिंग	Rifle 3 Position 50 Mtr.	01	00	01
		Air Pistol 10 Mtr.	00	01	01
		Air Rifle 10 Mtr.	00	01	01
19	बास्केटबॉल	Shooting Guard	00	01	01
		Post Player	00	01	01
20	हैण्डबॉल	Goal Keeper	00	01	01
21	फुटबॉल	Midfielder	01	00	01
22	खो–खो	Chaser	01	01	02
		Defender	01	01	02
23	हॉकी	Right Full Back	01	00	01
		Striker (Forward)	02	00	02
		TOTAL	**36**	**20**	**56**

6. उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेतः–

कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5(31)डीओपी/ए–2/84 दिनांक 21.11.19 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है, जो राजस्थान के मूल निवासी है और जिन्होंनेः–

(i) नीचे वर्णित सारिणी के स्तम्भ संख्यांक–2 में उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक–3 में उल्लेखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया होः–

सारणी

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेन्ट/चैम्पियनशिप का नाम
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्म कालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंग (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंग	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से सम्बद्ध एशियन खेल परिसंग	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंग (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंग(ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स/चैम्पियनशिप

या

(ii) स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेल–कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एशोसिएशन या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट या चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(iv) एसोशिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(v) इण्डियन ओलम्पिक एशोसिएशन या इससे सम्बद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल–कूद की नेशनल चैम्पियनशिप/नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

7. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूटः–

(i) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कॉन्स्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी)

जिला/यूनिट	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस/इन्टेलीजेन्स	मान्यता प्राप्त स्कूल/शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
पुलिस दूरसंचार	मान्यता प्राप्त स्कूल/शिक्षा बोर्ड से भौतिकी विज्ञान और गणित/कम्प्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सैकेण्डरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

(ii) आयु सीमा–

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–2(1)डीओपी/ए–2/03/दिनांक 17.05.2018 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 को आधार मानकर की गई है। राज्य सरकार, कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना एफ.7(2)कार्मिक/क–2/1984/पार्ट दिनांक 12.06.2023 के अनुसरण में ऊपरी आयु की गणना निम्नानुसार की जायेगी :–

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरूष/महिला	पुरूष	महिला
सामान्य	01.01.2007	02.01.1998	02.01.1993
ई.डब्ल्यू.एस/एस.सी./एस.टी./बी.सी./एम.बी.सी	01.01.2007	02.01.1993	02.01.1988
राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित	01.01.2007	02.01.1995	02.01.1990
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2007	02.01.1979	02.01.1979

नोटः– उपरोक्त वर्णित आयु में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा।

(iii) शारीरिक मापदण्ड–

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:–

मापदण्ड	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.
न्यूनतम सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाऐ–81 से.मी. फुलाने पर–86 से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
न्यूनतम वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.

नोट–

1. यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ही उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।
2. पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–14(2) के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
3. समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उंचाई 152 से.मी. एवं वजन 47.5 कि.ग्रा. में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

(iv) चिकित्सकीय मापदण्ड

1. **कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश कमांक एफ.2(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि J1(बेहतर ऑख) और J2(बदतर ऑख) होनी चाहिए। चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6X6 (बेहतर आँख) तथा 6X9 (बदतर आँख) होना अनिवार्य है।**
2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसें फूली हुई होना (varicose veins), भैंगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) हरनिया (Hernia) शल्य प्रोबलम (surgical problems)–या अन्य कोई विकृति/अंग–भंग जो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

8. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :–

(i) किसी भी ऐसे पुरूष/महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01–06–2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01–06–2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–7(1)डीओपी/ए–2/95/पार्ट–2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।

(iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(v) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

(vi) **आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 04.12.2019**

एवं अधिसूचना क्रमांक प. 2(2)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 02.03.2020 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है, तो ऑनलाईन आवेदन पत्र में चरित्र सत्यापन हेतु दिये गये कॉलम में आपराधिक प्रकरण का उल्लेख अवश्य करें।

9. आवश्यक खेल प्रमाण पत्रः–

अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में से विभाग की आवश्यकतानुसार उपरोक्त खेलों के खिलाडियों के, नीचे अंकित खेल संस्थाओं द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे:-

1. इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमेटी (IOC)
2. ओलम्पिक कॉउन्सिल ऑफ एशिया (OCA)
3. इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (IOC से सम्बद्ध)
4. कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF)
5. एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन (OCAसे सम्बद्ध)
6. साउथ एशियन ओलम्पिक कॉउन्सिल (SAOC)
7. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन (IOA)
8. नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (IOA से सम्बद्ध)
9. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज (AIU)
10. इन्टरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ISSF)
11. एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ASSF)
12. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (SGFI)

10. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया–

खेल कोटा के अन्तर्गत कॉस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 7(सी) के प्रावधान तथा इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या–05/2024 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया के 100 अंक होंगे जो 03 चरणों में आयोजित होगी- खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन, शारीरिक मापतौल एवं ट्रायल। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक तथा ट्रायल के 30 अंक होगें।

(अ) खेल प्रमाण पत्र (70 अंक):–

(i) जिन खेलों की प्रतियोगिता प्रति वर्ष आयोजित होती है उनके खेल प्रमाण पत्र 03 वर्ष तक मान्य होंगे एवं जिन खेलों की प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित नही होती है, उनके खेल प्रमाण पत्र 05 वर्ष तक मान्य होंगे। खेल प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने की तिथि से 03 वर्ष/05 वर्ष पूर्व के नही होने चाहिए।

(ii) खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक **weightage** वाले केवल एक ही प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान किये जाएंगे।

(iii) आवेदन पत्र के साथ खेल प्रमाण पत्र अपलोड करते समय अभ्यर्थी यह विशेष ध्यान रखें कि मूल खेल प्रमाण पत्र से ही स्कैन कर इमेज अपलोड की जाए, न कि फोटो कॉपी से।

S.N.	Certificate		Marks
1.	Won medal in Individual or Team event/ Represented country in Olympic Games (Summer) /World Cup/World Championship/Asian Games/ Commonwealth Games.	1st position	70
		2nd position	67
		3rd position	64
		any other	61
2.	Won medal in Individual or Team event/ Represented country in Asian Championship/Asia Cup/SAF Games.	1st position	58
		2nd position	55
		3rd position	52
		any other	49
3.	Won medal in Individual or Team event/ participated in International School Championship /Asian School Championship/National Games/ Senior National Championship/Open National Athletic Championship/ National Inter State Senior Athletic Championship/ Federation Cup National Senior Championship/National Cross Country Championship Games	1st position	46
		2nd position	43
		3rd position	40
4.	Won medal in Individual or Team event/ Participated in Youth National Games/Youth National Championship/ Junior National Championship	1st position	34
		2nd position	31
		3rd position	28
4a	Medal winner in the Individual or in team event in National School Games/All India Inter University Games.	1st position	25
		2nd position	22
		3rd position	19

(ब) शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST)–

अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–14 में वर्णितानुसार शारीरिक माप–तौल (PST) की जाएगी। नियमानुसार गठित चयन बोर्ड द्वारा शारीरिक माप–तौल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की ट्रायल ली जाएगी। चयन बोर्ड PST में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड तथा राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर मय सील होगी।

अपील–शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/–शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के सहायतार्थ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होगें। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक महिला फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन भर्ती बोर्ड द्वारा मेडिकल बोर्ड की सहायता से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ठ होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होगें। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगें तथा उसके हस्ताक्षर लेंगें।

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relexation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relexation) अंकित होगा।

नोट– अपील के सम्बन्ध में चयन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(स) ट्रायल (30 अंक)

ट्रायल के लिए उपयुक्त पाये गये प्रत्येक अभ्यर्थी की चयन बोर्ड द्वारा सम्बंधित खेल की ट्रायल ली जायेगी। चयन बोर्ड व ट्रायल कमेटी द्वारा ट्रायल के दौरान खिलाडी की तकनीक, दक्षता इत्यादि का आंकलन किया जायेगा।

(i) व्यक्तिगत स्पर्धाः–

जिन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में प्रदर्शन का आंकलन समय/दूरी/वजन/अंकों के आधार पर किया जाता है, उन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गत अखिल भारतीय पुलिस खेलों के 6 वें स्थान के प्रदर्शन के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी ही आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किये जायेंगे।

व्यक्तिगत स्पर्धाओं की ट्रायल में खिलाडियों को निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगेः–

स्थान	अंक
प्रथम	30
द्वितीय	28
तृतीय	26

तीसरे स्थान के पश्चात नीचे आने वाले प्रत्येक स्थान के लिए 2 अंक कम किये जायेंगे।

नोटः–यदि किसी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में एक ही अभ्यर्थी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की खेल विशेष की दक्षता के आंकलन हेतु चयन बोर्ड किसी बाहर के खिलाडी को बुलाकर उससे स्पर्धा करा सकेगा।

(ii) टीम स्पर्धाः–

चयन बोर्ड द्वारा ट्रायल कमेटी की मदद से सम्बंधित खेल के नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन के मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी की ट्रायल ली जायेगी।

अभ्यर्थी को व्यक्तिगत स्पर्धा/टीम स्पर्धा में ट्रायल के लिए निर्धारित 30 अंक में से कम से कम 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

चयन प्रकिया के दौरान 100 अंकों में से कम से कम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 40 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा।

(द) स्वास्थ्य परीक्षण–

चयन सूची की घोषणा के बाद उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा। उम्मीदवार जो अस्थाई रूप से अयोग्य पाए जाते हैं और जिनके दोष को चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार 6 महिने के भीतर ठीक किया जा सकता हैं, उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होगें बशर्ते कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाये जाते हैं। जो उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर पुनः परीक्षण के बाद भी चिकित्सा फिटनेस के निर्धारित मानकों को पूरा करने

में विफल रहते हैं, उन्हें नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनकी उम्मीद्वारी रद्द कर दी जाएगी।

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील–उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। पुनःस्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(य) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन–

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग एवं खेल प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जॉच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

11. मेरिट सूची एवं पदों का आवंटनः–

चयन प्रक्रिया के दौरान खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन एवं ट्रायल के कुल 100 अंकों में से प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की खेल वाईज मेरिट सूची तैयार की जायेगी। व्यक्तिगत स्पर्धा की किसी विशेष वेट केटेगरी/अन्य केटेगरी में प्राप्त स्थान के आधार पर चयन नहीं किया जायेगा, बल्कि खेल वाईज मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।

छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अंक अधिक प्राप्त करने पर भी, मेरिट सूची में छूट प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों से नीचे रखा जायेगा।

ट्रायल समाप्ति के तुरन्त पश्चात चयन बोर्ड अभ्यर्थियों से उन्हें जिला/यूनिट आवंटन हेतु काउन्सलिंग के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त करेगा। संयुक्त मेरिट सूची व प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों को जिला/यूनिट आवंटन में पुलिस महानिदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

12.वेतनमान और भत्ते–

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/–रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल–5 (Pay matrix-Level-5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

13.प्रमाण पत्र–

अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल, प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जांच एवं सम्बन्धित खेल की ट्रायल के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व–प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे–

(i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
(ii) आयु प्रमाण–पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
(iii) सम्बन्धित खेल का प्रमाण पत्र।
(iv) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र।
(v) अभ्यर्थी यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(vi) अभ्यर्थी यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण–पत्र।
(vii) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण–पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
(viii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र।
(ix) टीएसपी/सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
(x) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1)डीओपी/ए–II/2019 दिनांक 20.10.2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2023–24 की आय का ऑन लाईन जारी प्रमाण पत्र।
(xi) अभ्यर्थी से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5सेमी.) रंगीन फोटो।

(xii) विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय आदेश/डिक्री भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

(xiii) अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।

(xiv) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजियन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

14. महत्वपूर्ण निर्देश

(i) आवेदन–पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन–पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगें। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।

(ii) निरस्त किए गये आवेदन–पत्रों के शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।

(iii) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

(iv) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(v) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(vi) अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

(vii) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षो में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।

(viii) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 यथा संशोधित के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

(ix) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या–13 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(x) भर्ती प्रकिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश संख्या–05/2024 एवं विज्ञप्ति विभाग की वैबसाईट http://recruitment2.rajasthan.gov.in एवं www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(xi) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 7340557555, 9352323625 and email id- recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे। **इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (amendments) भी लागू होंगे।**

13/3

(सचिन मित्तल)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं पीआरसी, सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. मय आई.आर./एम.बी.सी./हाडीरानी महिला बटालियन ।
9. समस्त प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान ।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक(प्रचार), सी.आई.डी.(सी.बी.),राजस्थान।
12. निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान।
13. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान।
14. समस्त जिला खेल अधिकारी, राजस्थान।
15. प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाईट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर। 13/3